

30/11/19

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावली वाले जवाब एवं TDR मौका रिपोर्ट के दि. 21/11/19 को पेश है।

21/11/19

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावली वाले जवाब एवं TDR मौका रिपोर्ट के दि. 27/11/19 को पेश है।

27/11/19

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावली वाले जवाब एवं बरनिजाल TDR रिपोर्ट के दि. 18/12/19 को पेश है।

18/12/19

पत्रावली पेश की अवकाश उपस्थित है/पीठ की अवकाश में होने/वास्तु में वास्तु होने/वास्तु से पत्रावली वास्तु... 24/12/19 दिनांक... को पेश हो।

24/12/19

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावली वाले जवाब दि. 26/12/19 को पेश है।

26.12.19

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित. प्राचीन के प्राचीन पत्रा के वर्गीकृत चाहे जहाँ रास्ते के बदले विपक्षी को उतनी ही ज़रूरी उसके पास ही भी आशंका न 1598 में देते पर विपक्षी सहमत होकर अर्पण. दस्तावेज किर्पा

Handwritten signature and notes in the bottom right corner, including the name 'जमीन' and other illegible text.

प्रकरण में लक्ष्मीकण्ठ रायपुर से जोका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उल्लेख किया कि प्राचीन के के आराजी नक्शा 1598 व 1610 में आवागमन हेतु राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है किन्तु जोके पर विपरीत भी आराजी नक्शा 1599 भी पश्चिमी मेड के सटार 2 व आ.नं. 1596 भी पूर्वी मेड के सटार 2 दोनों आराजीप्राप्त भी मध्य की मेड पर दोनो आवागमन दो रास्त लक्ष्मीकण्ठ रायपुर ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया कि आ.नं. 1596 में 1.5 मी x 23 मी कुल 34.5 मी² रास्ते के उपयोग के आशय है तथा आ.नं. 1599 में 0.75 मी x 23 कुल 17.25 वर्ग मी² वाली आराजी नं. 1599 भी रास्ते में जारी है, इस प्रकार प्राचीन भी आराजी नं. 1598. एवं 1610 में जाने हेतु आराजी नं. 1596. एवं 1599 के मध्य आवागमन रास्ते से पश्चिम की तरफ प्राचीन के शकतेदारी भेजाने का 7 1/2 फिट का रास्ता जोके पर जा रहा है।

(Signature)

जो बद्रस्तुत रहेगा कागो विपक्षी के द्वारा कर्च
 पत्थरो की दिवार चूककल काड कर दिया
 त्रिस खोलके पर सदमाते की गयी उसके
 कादले कावार्त जितनी भूमि विपक्षी की शस्त्र
 के लिए प्राची उपयोक्ता में लेगा उसके कादले
 पर शशी गही लेकल प्राची की काशजी
 गच्छा 1598 की उत्तरी भेड पर विपक्षी की
 खातेदारी भूमि से लागती हुई भूमि लेने में
 सहकति की त्रिस पर प्राची कायिकता को भी
 कोई आपत्ती गही है

उपरोक्त विवरण से मैं इस निष्कर्ष पर
 पहुचा प्राची एवं विपक्षी इस बात पर सहमत
 हूँ कि प्राची शस्त्र के उपयोक्ता के जितनी भूमि
 विपक्षी की लेगा उसके अनुपात में प्राची कापती
 खातेदारी भूमि का. न. 1598 की उत्तरी भेड पर
 काशजी 1599 में मिलाने हेतु विपक्षी को देगा
 जिसमें किसी पट्ट को कोई आपत्ती गही हो
 प्राची पर स्वीकार किए जाय अर्थात्

अतः प्राची द्वारा प्रस्तुत प्राची पर कर्च
 धारा 251 A RTA स्वीकार कर कादेश दिया
 जाना है कि जाम रामपुर के आ. न. 1598 में
 जाने हेतु प्राची को जाम रामपुर की का. न.

(Signature)

1596 एवं 1599 के मध्य 7 1/2 गिरे - जोडाई में
 आराजी गव्वल 1598 की सीमा तक जाने हेतु
 रास्ता दिया जाया है, जिसकी विपत्ती वही रोकेगा
 साथ ही विपत्ती को पावण्ड किया जाया है कि -
 प्राचीन के आवागमन के किसी वरुद की व्याख्या उत्पन्न
 नहीं करें. वया आराजी न 1599 में जोडाई विपत्ती
 द्वारा कच्ची पत्थरों की डिवाइ करण करवाया
 आवरन्दु कर दिया उस वक्तव्य दयाची जाले
 प्राचीन जिनकी मन्त्रि विपत्ती की डायरी 1599
 में शक्ति हेतु अप्रोच करेगा ऊपर 1.5 मीटर
 $1.5 \times 23 \text{ मीटर} = 17.25 \text{ वर्ग मीटर}$ उसके बदले
 240 दर से शशी का जमाना नही कर
 आ.न 1598 में से उत्तरी मेड के सटार 2
 रास्ता की मन्त्रि की सीमा तक प्राचीन आपनी
 मन्त्रि जैसे विपत्ती को देगा वरुद किसी पक्ष
 को कोई नुकसान न हो। दोनों पक्ष इस
 निर्णय से पावण्ड रहेगा वया आविष्य के
 दोनों पक्षों के विषयक वारीस की पावण्ड रहेगा
 रास्ता में कोई अवरोध पैदा नही करेगा वया
 प्राचीन की किसी वरुद का मन्त्रि विपत्ती को देना
 से कोई आपत्ती नही करेगा, इसी कारण
 पावण्ड हेतु वदली/दर 2 रायपुर को हुक्मनाम

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

जारी हो, पडावली फेसल शमाल हाकल

गव्वल से काम हो



Amcm

26.12.19

(सुन्दरलाल कक्कोडा)

R A. S

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रावपुर (मीलवाड़ा)

